कमलादेवी व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:—148 / 2024
निर्णय दिनांक:—10.06.2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :— 148 / 2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :— 21 / 11 / 2024
निर्णय दिनांक :— 10 / 06 / 2025

अनवान

1. कमलादेवी पत्नी बस्तीमल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. तारादेवी पत्नी मकनलाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नारायणलाल पिता चन्दनमल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. प्रेमी पुत्री मकनलाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. मंजू पुत्री मकनलाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. रमेश पिता मकनलाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्यामलाल पिता बस्तीमल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. सोहनलाल पिता मकनलाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता मीठालाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. फतहलाल पिता मीठालाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. रगुलाल पिता पिता मीठालाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,ि... राजसमन्द

4. कैलाश पिता पिता मीठालाल जाति कलाल निवासी मियाला, मजरा वैरागिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम मियाला पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि आराजीयात स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 42 आराजी संख्या 812, 815, 822, 824, 826, 831, 840, 842, 851, 852, 860, 861 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 108 आराजी संख्या 877 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि उक्त खाता संख्या 108 में खातेदार प्रार्थी संख्या 01 व 07 है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कुलिया आराजीयात प्रार्थीगणो की खातेदारी है एवं प्रार्थीगणो ही उक्त नम्बर की देख भाल कर रहे है। पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करते चला आ रहे है, किन्तु प्रार्थीगणो की उक्त भूमि के चारो ओर पत्थर की पक्की बाउन्ड्री / सीमा चिन्ह नही होने से विपक्षीगण जो कि उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एंव हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनावश्यक प्रार्थीगण को मुकदमे बाजी के लिये विवश होने पडते है। मौके पर अशांती कायम रहती है प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त, उपयोग व

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

उपभोग भूमि का नही कर पा रहा है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा से मिलते हुए विपक्षीगण की भूमि की सीमा है जिससे विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी है किन्तु सीमा बाबत् विवाद विपक्षीगण से पैदा होता है इसलिये आराजीयात के पडौसी होने से आवश्यक पक्षकार के रूप ये विपक्षी बनाया गया है । प्रार्थीगण खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीगणो को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षीगण आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलीये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या 5 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि के उक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित ग्राम मियाला पटवार मण्डल मियाला की खाता नम्बर 42 आराजी संख्या 812, 815, 822, 824, 826, 831, 840, 842, 851, 852, 860, 861 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 108 आराजी संख्या 877 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि भूमि की बाद नपती पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 बावजूद सूचना तामिल के

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,।०... राजसमन्द

अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 05 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार हैः–

111. Decision of disputes as to boundaries –

(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the exiting survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section, the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party bease entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

कमलादेवी व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्याः—148/2024
निर्णय दिनांकः—10.06.2025

128. Boundary disputes – All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in Section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम मियाला पटवार हल्का मियाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता संख्या 42 आराजी संख्या 812, 815, 822, 824, 826, 831, 840, 842, 851, 852, 860, 861 कुल किता 12 कुल रकबा 1.9400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 108 आराजी संख्या 877 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकरों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सुपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। पालना हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को लिखा जावें पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जि... राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)